रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एल.-अ.-10082026-275332
CG-ML-E-10082026-275332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] नई दिल्ली, सोमवार , अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948
No. 653] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 717(अ).— केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स का राइफलमेन/ राइफलवुमेन (सामान्य ड्यूटी), समूह 'ग' योद्धक पद, भर्ती नियम, 2023 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स, राइफलमेन/ राइफलवुमेन (सामान्य ड्यूटी), समूह 'ग' योद्धक पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. असम राइफल्स में राइफलमेन/ राइफलवुमेन (सामान्य ड्युटी), समूह 'ग' योद्धक पद, भर्ती नियम, 2023 की अनुसूची में,

   (क) स्तंभ 6 में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:-

   "18 से 23 वर्ष की आयु के बीच।

   टिप्पण 1: आयु सीमा के अवधारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी, जो कर्मचारी चयन आयोग या संबद्ध नोडल बल द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

टिप्पण 2: भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

टिप्पण 3: भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में तीन वर्ष तक शिथिलनीय होगी।"

(ख) स्तंभ (7) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता।

(ख) शारीरिक और चिकित्सा मानक: राइफलमेन/ राइफलवुमेन (सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे।

(ग) अभ्यर्थी को भर्ती के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट अनुसार राइफलमेन/ राइफलवुमेन (सामान्य ड्यूटी) के लिए विहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा अर्हित करनी होगी।

टिप्पण: भूतपूर्व अग्निवीर को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट प्राप्त होंगे।"

(ग) स्तंभ (10) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:-

"सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 1: प्रत्येक भर्ती वर्ष में राइफलमेन/ राइफलवुमेन (सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए पचास प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।

टिप्पण 2: पहले चरण में, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए चिन्हित पचास प्रतिशत रिक्तियों के लिए भर्ती नोडल बल द्वारा की जाएगी।

टिप्पण 3: दूसरे चरण में, शेष पचास प्रतिशत रिक्तियों के साथ पहले चरण की ऐसी रिक्तीयां, जो न भरी गई है, विद्यमान उपबंधों के अनुसार अप्रतिबद्ध (खुली) परीक्षा या गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भर्ती की जाएगी।

टिप्पण 4: विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षण के विद्यमान उपबंध दोनों चरणों के लिए लागू होंगे।

टिप्पण 5: सामान्य ड्यूटी कार्मिकों की कुल रिक्तियों मे से पॉच प्रतिशत रिक्तियां राइफलवुमेन (सामान्य ड्यूटी) के लिए ऐसे समय तक आरक्षित रहेंगी, जब तक कि राइफलवुमेन (सामान्य ड्यूटी) की कुल संख्या सामान्य ड्यूटी कैडर की कुल संख्या के पॉच प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाती हैं।"

[फा. सं. ए-पर्स/संशोधित भर्ती नियम/ समूह 'ग' (जीडी)/ 2026/ (कार्मिक-II)]

अमित कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i), में संख्या सा. का. नि. 351(ई), तारीख 2 मई, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2026

G.S.R. 717(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Assam Rifles, Rifleman/Riflewomen (General Duty), Group 'C' combatised post, Recruitment Rules, 2023 namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Assam Rifles, Rifleman/Riflewomen (General Duty), Group 'C' combatised post Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Assam Rifles, Rifleman/Riflewomen (General Duty), Group 'C' combatised post Recruitment Rules, 2023, in the Schedule,

(a) in column (6), for the entries, the following shall be substituted, namely: -

"Between 18 and 23 years of age.

Note 1: The crucial date for determination of the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission or the concerned Nodal Force.

Note 2: The upper age-limit shall be relaxable upto five years for the candidates of the first batch of Ex-Agniveers.

Note 3: The upper age-limit shall be relaxable upto three years for the candidates of Ex-Agniveers.";

(b) in column (7), for the entries, the following shall be substituted, namely: -

"(a) Educational qualification: Matric or equivalent from a board recognised by the Central Government or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.

(b) Physical and Medical Standard: Physical and medical standard for recruitment to the post of Rifleman/ Riflewomen (General Duty) shall be applicable as per Scheme prescribed by the Central Government from time to time.

(c) The candidate must qualify Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Rifleman/ Riflewomen (General Duty) as specified in the advertisement for recruitment.

Note**:** Ex-Agniveers shall be exempted from written examination,Physical Standard Test and Physical Efficiency Test".

(c) in column (10), for the entries, the following shall be substituted, namely: -

"By direct recruitment.

Note 1: Fifty per cent. of the vacancies shall be reserved for Ex-Agniveers for recruitment to the post of Rifleman/Riflewomen (General Duty) in every recruitment year.

Note 2: In the first phase, the recruitment shall be conducted by the Nodal Force for fifty per cent. vacancies earmarked for Ex-Agniveer or as per the instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time.

Note 3: In the second phase, recruitment shall be conducted through open examination as per the existing provisions against the remaining fifty per cent. of the vacancies along with the unfilled vacancies of the first phase or as per the instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time.

Note 4: The existing provisions of reservation for various categories shall be applicable for both phases.

Note 5: Five per cent. of the vacancies of overall General Duty personnel shall be reserved for Riflewomen (General Duty) till such time that the overall strength of Riflewomen (General Duty) does not exceed total five per cent. strength of General Duty cadre".

[F. No. A/Pers/Amdt RRs/Gp 'C'/GD/2026/AR (Pers-II)]

AMIT KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 351(E), dated the 2nd May, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.08.10 15:56:45 +05'30'